आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

21.03.2024 समय : 1850

- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए अभियान के दौरान रोड शो करने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए निर्देश जारी किया गया है।
- निकोबार ज़िला उपायुक्त और उप–निर्वाचन अधिकारी ज्योति कुमारी ने कहा कि शोम्पेन आदिम जनजातियों के लिए शोम्पेन हट नामक मतदान केन्द्र बनाया गया है।
- द्वीपसमूह में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने तथा कानून और व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पुलिस महानिदेशक देवेश चन्द्र श्रीवास्तव ने ननकौड़ी द्वीपसमूह का दौरा किया ।
- आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा दायर शपथ पत्र को नामांकन भरने के चौबीस घंटे के भीतर सूचना पट्ट पर दर्शा दिया जाएगा।
- रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से इक्कतीस मार्च रविवार को अपनी सभी शाखाएं खुली रखने को कहा है।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए अभियान के दौरान रोड शो करने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए निर्देश जारी किया गया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रचार अभियान के दौरान आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस सिलसिले में सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को रोड शो करने से पहले प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। रोड शो की अनुमति छुट्टियों के दिनों के अलावा भीड़–भाड़ वाले अवधि के बाद देने को कहा गया है। रोड शो में शामिल होने वाले वाहनों और लोगों की जानकारी पहले से देनी होगी। रोड शो के दौरान सड़क को आधे भाग से अधिक कवर नहीं करना होगा। रोड शो में शामिल वाहनों के काफिले को प्रत्येक दस वाहनों के बाद सौ मीटर की दूरी बनाए रखने होंगे। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोड शो के दौरान पटाखे आदि छोड़ने की भी मनाही की गई है। हाथों में इस्तेमाल होने वाले बैनर के आकार को भी सीमित किया गया है। इसके अलावा संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के अनुमति के बाद रोड शो में प्रचार अभियान वाले वाहनों में सिर्फ एक ही झंडे का इस्तेमाल करना होगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशानुसार और स्थानीय नियमों और न्यायालय के आदेशों के अनुसार लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल करना होगा। रोड शो में पशुओं का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंध है। बच्चे विशेषकर यूनिफार्म में स्कूली बच्चों को रोड शो में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस निर्देश का सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पालन करना होगा।

<><><><><><><>

निकोबार ज़िला उपायुक्त और उप–निर्वाचन अधिकारी ज्योति कुमारी ने कहा कि निकोबार ज़िले में चुनौतियों के बावजूद लोकसभा चुनाव कराने के लिए ज़िला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि शोम्पेन आदिम जनजातियों के लिए शोम्पेन हट नामक मतदान केन्द्र बनाया गया है, जहां इस आदिम जनजाति के लोगों को मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने तथा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए पुलिस महानिदेशक देवेश चन्द्र श्रीवास्तव ने पिछले दिनों ननकौड़ी द्वीपसमूह के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। दौरे के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अलावा निकोबार ज़िला उपायुक्त भी उनके साथ थी। पुलिस महानिदेशक ने विभिन्न पुलिस थानों, पुलिस रेडियो, दमकल केन्द्रों, मरीन पुलिस संचालन केन्द्र और तिलंगचांग में एल ओ पी का दौरा किया। उन्होंने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के केन्द्रों का भी दौरा कर अधिकारियों तथा सैन्य कर्मियों से मुलाकात की, ताकि एक बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।

<><><><><><>

आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा दायर शपथ पत्र को नामांकन भरने के चौबीस घंटे के भीतर सूचना पट्ट पर दर्शा दिया जाएगा। यह जानकारी द्वीपों के तीनों ज़िलों के उपायुक्त कार्यालयों के सूचना पट्ट के अलावा दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान ज़िला परिषद के सूचना पट्ट, सभी उप–खंडीय मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों और सभी तहसील कार्यालयों के सूचना पट्ट पर उपलब्ध होगी। इससे चुनाव प्रक्रिया को न सिर्फ पारदर्शी बनाया जा सकेगा, बल्कि सूचनाप्रद भी होगी। दायर किए गए शपथ पत्र चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।

<><><><><><>

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए द्वीपसमूह में लोगों से रिश्वत लेने जैसे कार्यों से दूर रहने की अपील की गई है। जारी अपील में कहा गया है कि यदि मतदाताओं को किसी भी व्यक्ति की ओर से रिश्वत देने या उन्हें डराने–धमकाने की कोशिश की जाती है, तो वे निशुल्क नम्बर एक नौ पांच शून्य पर जानकारी दे सकते हैं। शिकायत निगरानी प्रकोष्ठ में चौबीसों घंटे शिकायतें प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी।

उधर, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पिचासी वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं सहित चालीस प्रतिशत और इससे अधिक के दिव्यांगजन तथा कोविड से प्रभावित श्रेणियों के मतदाता, जो व्यक्तिगत रूप से अपने–अपने मतदान केन्द्रों में वोट नहीं डाल पाएंगे, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इस श्रेणी के मतदाता जो मतदान के लिए विशेष प्रावधान की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे अपने–अपने बी एल ओ से संपर्क कर जरूरी निर्देश प्राप्त करने को कहा गया है।

इस बीच, आज नामांकन दाखिल करने का दूसरा दिन था और आज भी कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया।

<><><><><><>

आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए उनमें जागरूकता उत्पन्न की जा रही है। स्वीप गतिविधियों के माध्यम से ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर के डीब्रेट के सभागार में स्वीप के नोडल अधिकारी ने विद्यार्थियों को स्वीप गतिविधियों की जानकारी देते हुए मतदान के दिन बड़ी संख्या में मतदान कर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को ई वी एम और वीवी पैट मशीन के इस्तेमाल की भी जानकारी दी गई। पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से सी–विज़िल, राईट टू वोट और चुनाव आचार संहिता के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई।

उधर, महात्मा गांधी कॉलेज के सम्मेलन कक्ष में नए युवा मतदाताओं के लिए आज हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। ज़िला उपायुक्त और उप–निर्वाचन अधिकारी दिलखुश मीणा ने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से बढ़–चढ़कर वोट डालने का अनुरोध किया। कॉलेज के इतिहास विभाग के संकाय सदस्य डॉ. पी.के मंडल ने भी नए युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित किया।

<><><><><><><>

रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को परामर्श जारी किया है कि वे रविवार इक्कतीस मार्च को अपनी सभी शाखाएं खुली रखे। यह परामर्श सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी बैंकों को इक्कतीस मार्च को लेन–देन के लिए खुला रखने के अनुरोध के बाद आया है, जिससे प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेन–देन का हिसाब–किताब चालू वित्त वर्ष में ही किया जा सके।

<><><><><><><>